एनसीआईसी / 01 / 2024–25 / 28 अगस्त, 2024

सेवा में,

श्रीमान ए. के. शर्मा
माननीय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
कैम्प : आगरा।

विषय :–आगरा में शहर एवं औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में।

महोदय,

आगरा आगमन पर इस ताज नगरी में नेशनल चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज एण्ड कॉमर्स, यूपी, आगरा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आपने अपने व्यस्त सूची में से समय प्रदान किया, इस हेतु आपके प्रति आभार। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा आगरा शहर के विकास हेतु महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। फिर भी आपके संज्ञान हेतु हम निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं :–

1. नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर के नोटिसों में भिन्नता के कारण उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। जीपीएस सर्वे के नाम पर लगभग 90 प्रतिशत नोटिस गलत थे जिनको नगर निगम ने भी स्वीकारा और कम्पनी की इस गलती के लिए उसे प्रतिकूल प्रवष्टी भी दी गयी है। हमारा निवेदन यह है कि जीपीएस कम्पनी के नोटिसों को जब गलत मान लिया गया और उसे प्रतिकूल प्रवष्टी भी दी गई है तो उसके द्वारा बनाये गये क्षेत्रफल के आधार पर असिस्मेंट को मान्यता क्यों दी जा रही है। इस परिस्थितियों में सर्वे करने वाली एजेंसी के द्वारा बनाये गये क्षेत्रफल के आधार पर असिस्मेंट को निरस्त करते हुए पुराने असिस्मेंट को ही मान्यता देनी चाहिए।
2. उपरोक्त विसंगतियों के कारण औद्योगिक एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों पर सम्पत्तिकर एवं जलकर कर दाता कर का भुगतान करना चाहते हुए भी नहीं कर पाये हैं। हमारा निवेदन है कि इन दोनों करों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई जाये। जिससे करदाता शीघ्र भुगतान कर सकें और सरकार को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकें।
3. जिन सम्पत्ति स्वामियों का वर्ष 2023–24 तक कर चुकता है उनके ऊपर भी नये सर्वे के अनुसार 2021 से बकाया निकालकर उसकी ब्याज की मांग की जा रही है। जो एक मुश्त समाधान योजना हेतु जारी आदेश का भी उल्लंघन है। क्योंकि एक मुश्त समाधान योजना के तहत पूर्व में जो छूट मिली थी वह छूट भी खत्म हो रही है। यह सरासर अन्याय है।
4. पूरे शहर में जल निकास की सुनियोजित व्यवस्था बनाई जाये। यह देखा गया है कि वर्षा होने पर शीघ्र ही शहर में अधिकांशतः मार्गों पर काफी जल भराव हो जाता है। वीआईपी रोड पर जल भरा रहता है। अतः शहर में सभी नालों को सुव्यवस्थित किया जाये और यमुना नदी में गिरने वाले नालों की टेपिंग भलीभांति सुनिशचित की जाये। जिससे यमुना नदी में कचरा आदि बहकर जमा न हो सके।
5. नेशनल चैम्बर ऑफ़ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, यू.पी., आगरा इस भूभाग में (पश्चिमी उत्तर प्रदेश में) सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है जो 1949 में स्थापित हुआ था और तब से निरंतर औद्योगिक विकास की गतिविधियां कर रहा है। वर्तमान में इसे 1600 से अधिक सदस्य और 18 अन्य संबद्ध

संस्थाएं सदस्य के रूप में जुड़ी हैं। इसका भवन वर्तमान में न्यू मार्केट जीवनी मंडी में स्थित है जो शहर की व्यस्त जगह पर होने के कारण अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा है। इसके लिए हमारा विनम्र निवेदन है कि फाउंड्री नगर औद्योगिक क्षेत्र में सीएफसी की पुरानी बिल्डिंग में 5000 वर्ग मीटर जगह खाली पड़ी हुई है तथा उसमें जो भवन बना हुआ है वह जर्जर व गिरासू स्थिति में है। हम आपसे पुरजोर गुजारिश करते हैं कि सीएफसी की खाली जगह में से 1000 वर्ग मीटर जगह नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एण्ड कॉमर्स को आवंटित कर दी जाए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सीएफसी भवन उद्यमियों की सुविधा के लिये ही बनाया गया था। इस भूखंड का मूल्य उद्यमियों द्वारा चुकता कर दिया गया है। नेशनल चैम्बर का नया भवन यहां बनने से औद्योगिक गतिविधियां सुचारु एवं बड़े स्तर पर हो सकेंगी। जो औद्योगिक विकास हेतु सरकार की नीतियों/योजनाओं को लागू करने में बड़ा सहायक हो सकता है।

6. माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घर–घर मुफ्त बिजली देने के लिए सोलर योजना प्रभावी रुप से नहीं चल पा रही है। उसमें कई विभागीय अड़चनें बाधा उत्पन्न कर रही हैं। जैसे विद्युत वितरण कम्पनियों पर नेट मीटरिंग हेतु मीटर उपलब्ध न होना आदि।
7. औद्योगिक एवं व्यवसायिक संयंत्रों पर सोलर योजना में नेट मीटरिंग नहीं है। अतः हमारा निवेदन है कि सोलर को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक एवं व्यवसायिक संयंत्रों पर नेट मीटरिंग की व्यवस्था की जाये।
8. महोदय, बोदला–बिचपुरी रोड पर स्थित सभी निर्यातक इकाइयों को दंक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. की विद्युत सप्लाई की जगह टोरेंट पावर की सप्लाई हेतु कई बार अनुरोध किया गया है। दिनांक 18 जुलाई, 2024 को आर.बी.एस. कालेज आगरा में माननीय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समस्त उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी। औद्योगिक इकाईयों में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा प्रदत्त पावर सप्लाई में भारी कटौती एवं दिन में 10–20 बार बिजली ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही करने की अनुकम्पा करें।
9. जयपुर हाईवे से आगरा भरतपुर मार्ग को जोड़ने वाली रोड जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत है और इसे आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कराया गया था, में कई वर्षों से गहरे गढ़डे हो गये हैं। इस मार्ग से वाहनों का चलना खतरा से भरा रहता है। अतः शहरी क्षेत्र में स्थित इस मार्ग को पुनः अच्छी गुणवत्ता के साथ निर्मित कराया जाये।
10. बीचपुरी रेलवे फाटक शहरी क्षेत्र के अंतर्गत है। यहां से बहुत बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। दिनभर यात्री व माल गाड़ी निकलती रहती हैं। फाटक काफी देर तक बंद रहने से यहां लम्बे समय तक जाम लग जाता है। अतः निवेदन है कि यहां प्रस्तावित फ्लाई ओवर का निर्माण शीघ्र कराया जाये और तब तक फाटक से दोनों ओर ढ़ाई सौ मीटर रोड का चौड़ीकरण किया जाये।

सादर,

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष